छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 376/2006</u>

श्रीमती सुषमा गुप्ता,
पार्षद,
स्वामी विवेकानंद वार्ड क्र. 11,
सदर रोड,
अम्बिकापुर (सरगुजा)
(छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::
(दिनांक 16 जनवरी 2007)

श्रीमती सुषमा गुप्ता निवासी–अम्बिकापुर के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने आयुक्त, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर से पूर्व उपयंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के विरूद्ध की गई शिकायत पर की गई कार्यवाही एवं मोटर पंपों, पाईप लाइनों एवं जल प्रदाय में लगी वाहनों की मरम्मत में भुगतान हुए बिलों की प्रतिलिपि निर्माण कार्यों में जल प्रदाय किये जाने पर शुल्क की रसीद की प्रतिलिपि तथा टैंकरों द्वारा जल सप्लाई हेतु पार्षदों द्वारा की गई अनुशंसा की सूची की प्रतिलिपि चाही थी। उक्त जानकारी निर्धारित अवधि में अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हुई। उसके द्वारा अपीलीय अधिकारी, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। सूचना आयोग के द्वारा दिनांक 13–11–2006 को यह निर्देशित किया गया कि प्रथम अपील का शीघ्र निर्णय किया जावे, किन्तु अपीलीय अधिकारी के द्वारा निर्धारित अवधि में निर्णय नहीं लिया गया। दिनांक 22–12–2006 को तथा आयोग कार्यालय के द्वारा दूरभाष पर आयुक्त, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर को अपील के निराकरण करने की जानकारी भेजने के लिए स्मरण भी कराया गया, किन्तु अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपील के निराकरण की सूचना नहीं दी गई।

3/ चूंकि अपीलीय अधिकारी ने निर्धारित समयावधि में अपील का निराकरण नहीं किया, अतः आयोग के द्वारा अपीलार्थी की द्वितीय अपील पर दोनों पक्षों की बहस सूनी गई।

4/ प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के द्वारा श्री आर. पी. सिंह प्रभारी जलप्रदाय शाखा, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर के कार्यकाल के संबंध में जानकारी चाही थी, साथ ही यह भी चाहा था कि विगत 3 वर्षों में नगर पालिक निगम के द्वारा कितने अवैध नल कनेक्शनों को वैध किया गया तथा उन अवैध कनेक्शनों से कितने रूपए की वसूली की गई, नगर पालिक निगम के द्वारा मोटर पंपों, पाईप लाइनों की मरम्मत में हुए व्यय, ग्रीष्मकाल में नगर पालिक निगम के द्वारा होटल तथा निर्माण कार्यों में जल प्रदाय से प्राप्त राशि का विवरण चाहा था। सूचना अधिकारी के द्वारा पत्र दिनांक 05–04–2006 के द्वारा जानकारी दी गई, किन्तु उक्त जानकारी से स्पष्ट होता है जन सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी से ही कुछ जानकारी मांगी जो कि असंगत थी। दी गई जानकारी अपूर्ण होने से अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसका निराकरण अपीलीय अधिकारी के द्वारा निर्धारित अवधि में नहीं किया गया। दिनांक 16–8–2006 को जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया कि वह कार्यालय में उपस्थित होकर अभिलेखों का अवलोकन कर जिन अभिलेखों की प्रति चाहती है, उसे चिन्हांकित करे। अपीलार्थी सूचना उपरांत उपस्थित नहीं हुई। अपीलार्थी का यह तर्क है कि उसे निर्धारित अवधि में जानकारी प्राप्त नहीं हुई, अतः दोषी अधिकारियों पर अर्थदण्ड आरोपित किया जावे।

5/ अपीलार्थी के आवेदन पत्र से यह स्पष्ट होता है कि उसने काफी विस्तृत जानकारी चाही है। अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से आवेदन–पत्र के बिन्दु क्रमांक–2 एवं 4 में यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसे किस अवधि की जानकारी चाहिए। बिन्दु क्रमांक–3 में उसने अवश्य गत वर्ष ग्रीष्मकाल में जलप्रदाय से प्राप्त राशि की एक वर्ष की जानकारी चाही थी। मोटर–पंपों, पाईप–लाईनों आदि के क्रय के संबंध में कोई अवधि का उल्लेख नहीं किया था। अतः जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी एकत्रित करने में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा सही जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध कराने में कठिनाई हुई।

6/ प्रकरण से स्पष्ट है कि विस्तृत जानकारी अपीलार्थी के द्वारा मांगी गई है, अतः जन सूचना अधिकारी, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर तिथि निर्धारित कर अपीलार्थी को निःशुल्क अभिलेखों का अवलोकन करायें तथा अपीलार्थी के द्वारा मांगी गई जानकारी 100 पृष्ठ तक निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे। यदि जानकारी 100 पृष्ठों से अधिक है तो अपीलार्थी को अभिलेख शुल्क की स्पष्ट जानकारी देते हुए शेष अभिलेखों का अभिलेख शुल्क लेकर जानकारी उपलब्ध कराई जावे।

7/ चूंकि जन सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विधि अनुसार कार्यवाही नहीं की गई है तथा अपीलीय अधिकारी के द्वारा भी आयोग के निर्देशों के उपरांत भी अपील के निराकरण के संबंध में आयोग को सूचित नहीं किया गया है, जबकि प्रथम अपील के निराकरण करने की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। प्रतिअपीलार्थी–आयुक्त, नगर निगम का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अपीलार्थी ने छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत कर दी थी, अतः उसने अपील का निराकरण नहीं किया, मान्य नहीं है। नियमानुसार उसे अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अवधि में अपील का निराकरण करना था। जन सूचना अधिकारी के

द्वारा भी अपील के निराकरण की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी आयोग के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपील लंबित है तथा अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील लंबित रहते हुए द्वितीय अपील की गई है, तथ्यों के विपरीत है। अतः उक्त दोनों अधिकारी जन सूचना अधिकारी एवं आयुक्त, नगर पालिक निगम को भविष्य के लिए सचेत किया जाता है। अपीलार्थी के द्वारा पूर्ण जानकारी नहीं देने के कारण प्रतिअपीलार्थी पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का अनुरोध किया गया है, प्रकरण के तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि अपीलार्थी के द्वारा भी अपने आवेदन–पत्र में स्पष्ट रूप से कौन–सी जानकारी किस अवधि की चाहिए यह स्पष्ट नहीं किया था, अतः भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिअपीलार्थी ने जानबूझकर अथवा द्वेषवश अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। अतः प्रतिअपीलार्थी पर अर्थदण्ड किये जाने का औचित्य नहीं है। फिर भी चूंकि प्रतिअपीलार्थी के द्वारा अपीलार्थी को अभिलेख शुल्क का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया तथा निर्धारित अवधि में उसे जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी, जिससे उसे आर्थिक एवं मानसिक क्लेश हुआ, अतः आयुक्त, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर को यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को 200/– रूपए की क्षतिपूर्ति प्रदान करें।

8/ उपरोक्त निर्देशों के साथ अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

हस्ता0/– 16–1–2006
(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त